भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1114**

उत्‍तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2015

7 श्रावण, 1937 (शक)

**सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में खेल कोटा की रिक्‍तियां**

1114 . श्री दिलीप कुमार तिर्की :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में खेल

कोटा भर्ती के अन्तर्गत काफी संख्या में रिक्‍तियां हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे सरकारी विभाग और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम खेल कोटा

भर्तियों को उचित महत्व नहीं प्रदान कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति का समाधान करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

**उत्‍तर**

**युवा कार्यक्रम और खेल राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री सर्बानन्‍द सोनोवाल )**

(क) से (ग) : युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रिक्‍तियों और खेल कोटे के अंतर्गत विद्यमान रिक्‍तियों पर हुई भर्तियों के संबंध में आंकड़े नहीं रखता है।

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में खेल कोटे की रिक्‍तियों के अंतर्गत मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्‍ति के प्रावधान पहले से ही विद्यमान हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी विद्यमान अनुदेशों के अनुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में समूह ‘ग’ और पूर्ववर्ती समूह ‘घ’ में सीधी भर्ती रिक्‍तियों का 5 प्रतिशत मेधावी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित है।

भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग भर्ती प्रक्रिया में छूट देते हुए किसी वर्ष में मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती उस सीमा तक कर सकते हैं कि ये विद्यमान आदेशों के अंतर्गत सभी आरक्षणों सहित सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली कुल रिक्‍तियों के 50 प्रतिशत से अधिक न हों। केंद्रीय सरकार के संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समय-समय पर अंतरराष्‍ट्रीय खेल स्‍पर्धाओं में पदक विजेताओं सहित मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती करते हैं जिसके लिए वे रोजगार समाचार पत्र और अन्‍य समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं। खेल विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, बैंकों आदि को अधिकाधिक खिलाड़ियों की भर्ती करने के लिए प्रेरित करने हेतु कदम उठाए हैं।

**\*\*\*\*\***